पटना नगर निगम

ब्लॉक-सी, द्वितीय तल, मौयलोक कम्पलेक्स, डाक बंग्ला रोड, पटना-800001

पत्र संख्या- 2812 /प0न0नि0

प्रेषक,

उप निदेशक,
शहरी योजना शाखा,
पटना नगर निगम, पटना।

सेवा में,

डॉ० श्री नलिनी रंजन सिंह एवं डॉ० श्रीमती सुमन सिंह,
पोखरिया, सतीश पथ, बेगुसराय, बिहार।
मोबाईल संख्या-8092012120

पटना, दिनांक-20/03/2017 ई0।

विषयः- **प्लॉन केस सं०-P/Kankarbagh/PCN/B+G+5/13/2016 (संशोधित) की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

आपके आवेदन सं0-P/Kankarbagh/PCN/B+G+5/13/2016 (संशोधित) दिनांक-22.01.2016 के संदर्भ में डॉ0 श्री नलिनी रंजन सिंह एवं डॉ0 श्रीमती सुमन सिंह, पोखरिया, सतीश पथ, बेगुसराय, बिहार भवन निमार्ण के लिए पटना नगर निगम/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित .... विकास योजना/आयोजना प्राधिकार/आयोजना स्कीम के .... बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा आवंटित प्लॉट नं0-DS 06, थाना-कंकड़बाग, मौजा-लोहिया नगर हॉऊसिंग कॉलोनी, पटना के बाबत निम्नलिखित शर्तो/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

(क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से नर्सिंग होम प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।

(ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 915.10 वर्ग मीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।

(घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 31.10 मी0 चौड़ाई के अनुमोदित पहुँच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।

(ड़) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।

(च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजना प्राधिकारों/या बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधीनस्थ पटना नगर निगमों 00.00 वर्ग मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में देगा।

(छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किये जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

(ज) इस उपबन्ध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखण्ड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो, के अधिकार, हक, हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।

(झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित/ की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जाएगी।

(ञ) नक्शा की स्वीकृति के क्रम में आवश्यक दस्तावेजों में अमीन का सत्यापन प्रतिवेदन अनिवार्य दस्तावेज होता है। बिहार राज्य आवास बोर्ड से प्रतिनियुक्त अमीन, श्री नवनीत कुमार द्वारा दिया गया जाँच प्रतिवेदन पृ0-83/प0 पर संलग्न है। प्रतिनियुक्त अमीन, श्री नवनीत कुमार, बिहार राज्य आवास बोर्ड, बिहार, पटना द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में भविष्य में त्रुटि पायी जाती है तो इसके लिये अमीन पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा एवं इसके विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी तथा स्वीकृत नक्शा स्वतः रद्द समझा जायेगा।

(ट) भू-स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों/कागजात के सत्यता की जिम्मेवारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि/हेर-फेर/कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ आवेदक के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

विश्वासभाजन

उप निदेशक,
शहरी योजना शाखा,
पटना नगर निगम, पटना।

''बेहतर हो पहचान अपना, विकसित राजधानी सुन्दर पटना''